

29.6.18

पञ्चवली आण कॅम्प कोर्ट गुदावावनी में पेशद्वारी  
पञ्चवली सर्व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन  
किया गया। उपर्युक्त वाद पत्र के परिशेष वादीगत  
ग्राम खेदशा की हानि के वर्तमान अंतिम 28.7.77  
78 व 210 की शवातेदारी - आदले है। उक्त वर्तित  
अंतिम की शवातेदारी वर्तमान में मंदिर माफ़ी श्री गोपालजी  
वाले गुदागोदण के नाम के दर्ज रिकार्ड है तथा  
उक्त वर्तित अंतिम सवत 2015 में भी मंदिर की  
शवातेदारी में दर्ज रिकार्ड रहीं हैं। मंदिर अंतिम  
में किसी भी व्यक्ति को शवातेदारी अधिकार  
नहीं दिये जा सकते हैं। पञ्चवली में उपलब्ध  
दस्तावेजों के वादीगत का अंश पत्र साक्षि नहीं  
होला है इकालिय वाद पत्र शवारित किया जागा  
उचित व न्यायोचित प्रतिक होला है।

### आदेश

वाद पत्र साक्षित नहीं होके तथा साधारणी न होके  
के शवारित किया जाला है।

पञ्चवली कैम्पल गुमान देवार नाकर के काम हो  
तथा साक्षिल दफ्तर है।

निर्णय आण दिनांक 29.6.18 का कॅम्प कोर्ट  
गुदावावनी में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
पञ्चवली (उपखण्ड)